संख्या : 82/2015/1310/छप्पन-2015-43/2008

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 14 अक्टूबर, 2015

विषय : राजकीय अगुस्ता हेलीकॉप्टर- वी0टी0-यू0पी0एल0 के दोनों इंजन PW207C, Sl. No. BHO410 & BHO411 को रिपेयर एवं हॉट सेक्शन इंसपेक्शन (एच0एस0आई0) कराये जाने पर आये अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 478/ना0उ0नि0/इंजी/ए-2-2015(पी), दिनांक 13-8-2015 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या- 9/2015/244/छप्पन-14-43/14, दिनांक 17-03-2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय अगुस्ता हेलीकॉप्टर- वी0टी0-यू0पी0एल0 के दोनों इंजन PW207C, Sl. No. BHO410 & BHO411 को रिपेयर एवं हॉट सेक्शन इंसपेक्शन (एच0एस0आई0) कराये जाने हेतु निर्माता मैसर्स प्राट एण्ड व्हिटनी कनाडा (एस0ई0ए0) प्रा0लि0 सिंगापुर की फैक्टरी फैसिलिटी मैसर्स P&WC MONTREAL, P&WC St. Hubert Service Centre (Plant-5) 7007 De La Savane St. Hubert (Quebec) Canada J3Y3X7 को निर्यात कर रूपये 2,18,23,938-00 के अग्रिम आहरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का अग्रिम भुगतान निर्माता कम्पनी को कर दिया गया है। तत्पश्चात निर्माता कम्पनी ने अवगत कराया है कि में दोनो इंजन क्रमश: BHO410 & BHO411 के Comprassor Section तथा Reduction Gear Section में Defect पाया गया था। कार्य सम्पादन कराये जाने हेतु फर्म द्वारा दोनों इंजनों हेतु कुल यू0एस0 डॉलर 93,405-48 के अतिरिक्त भुगतान की मॉग की है, जो भारतीय मुद्रा में रूपये 65-00 प्रति यू0एस0 डालर की विनिमय दर से (बैंक चार्जेज सहित) रूपये 60,71,356-00 (रूपये साठ लाख इकहत्तर हजार तीन सौ छप्पन मात्र) है की स्वीकृति प्रदान की जानी है। अत: राज्यपाल महोदय राजकीय अगुस्ता हेलीकॉप्टर- वी0टी0-यू0पी0एल0 के दोनों इंजन PW207C, Sl. No. BHO410 & BHO411 के Comprassor Section तथा Reduction Gear Section में आये Defect को ठीक कराये जाने हेतु निर्माता फर्म मैसर्स प्राट एण्ड व्हिटनी कनाडा (एस0ई0ए0) प्रा0लि0 सिंगापुर से प्राप्त प्रोफार्मा इन्वाइसों के आधार पर यू0एस0 डालर 93,405-48 जो भारतीय मुद्रा में रूपये 65-00 प्रति यू0एस0 डालर की विनिमय दर से (बैंक चार्जेज सहित) रूपये 60,71,356-00 (रूपये साठ लाख इकहत्तर हजार तीन सौ छप्पन मात्र) होता है, के व्यय एवं फर्म को भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान निर्माता कम्पनी को वायरट्रांसफर के माध्यम से किया जायेगा।

4- शासनादेश संख्या- 1754/छप्पन-14-43/14, दिनांक 18-11-2014 के द्वारा इंगित हेलीकॉप्टर के दोनो इंजन रेन्टल आधार पर लिये जाने हेतु सिक्योरिटी के रूप में स्वीकृत धनराशि रूपये 37,20,000-00 (रूपये सैंतीस लाख बीस हजार मात्र) से रिपेयर किये जाने वाले दोनों इंजनों के प्राप्त होने के उपरान्त किराये की धनराशि का समायोजन करते हुए अवशेष धनराशि राजकीय कोष में तत्काल जमा किया जाय। स्वीकृत सिक्योरिटी की धनराशि, किराये की धनराशि एवं राजकीय कोष में जमा की गई धनराशि के समायोजन की सूचना शासन को दिनांक 31-12-2015 तक उपलब्ध करायी जाय।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान फर्म को तत्कालीन विनिमय दर से करने के पश्चात अधिशेष धनराशि मार्जिन मनी एकाउण्ट में जमा की जायेगी। आहरण/समायोजन में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या क्षति होती है, तो उसके लिए निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

6- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अधीन लेखा शीर्षक - 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय की मानक मद-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 के अशा0 संख्या- ई-7-864/दस-2015, दिनांक 09 अक्टूबर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

पृ0सं0 : 82/2015/1310(1)/छप्पन-2015-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in